बालश्रम

(कुछ कानूनी पहलू)

विकास संवाद

शीर्षक	:	बालश्रम
प्रकाशक	:	विकास संवाद मप्र
फोन	:	0755-4252789
ईमेल	:	vikassamvad@gmail.com
वेबसाइट	:	mediaforrights.org
संस्करण	:	प्रथम
वर्ष	:	2010
प्रतियां	:	1200
लेखन एवं संपादन	:	रोली शिवहरे, प्रशांत दुबे
मुद्रक	:	एमएसपी ऑफसेट, भोपाल
आवरण आकल्पन	:	अमित सक्सेना
आवरण फोटो	:	गगन
सम्पर्क	:	विकास संवाद ई/7-226, प्रथम तल, धनवन्तरी कॉम्प्लेक्स के सामने अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल मध्यप्रदेश 462 016
सहयोग	:	चाईल्ड राईट्स एण्ड यू (क्राय)

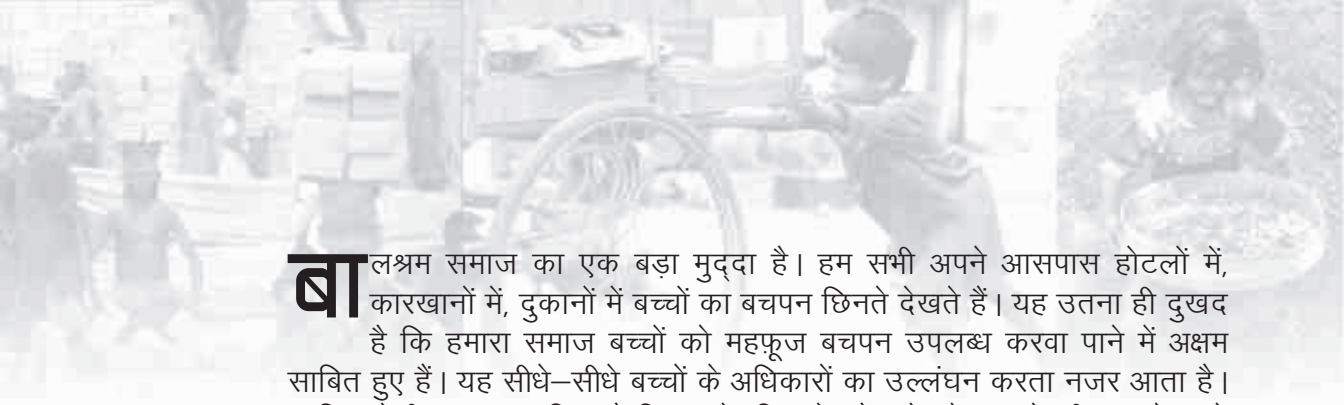

बालश्रम समाज का एक बड़ा मुद्दा है। हम सभी अपने आसपास होटलों में, कारखानों में, दुकानों में बच्चों का बचपन छिनते देखते हैं। यह उतना ही दुखद है कि हमारा समाज बच्चों को महफ़ूज बचपन उपलब्ध करवा पाने में अक्षम साबित हुए हैं। यह सीधे–सीधे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता नजर आता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि पढ़ने–लिखने और खेलने–कूदने की उम्र में बच्चे हाडतोड़ मेहनत करने पर मजबूर हैं।

बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संविधान ने केन्द्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की जिम्मेदारी दी है। इसे दूर करने के लिए कानून बनाए भी गए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि बाल श्रम दूर करने की बजाए बढ़ता ही दिखाई देता है। नीतियों–प्रावधानों और जमीनी हकीकत में कोसों का फासला नजर आता है। यह उतना ही आश्चर्यजनक लगता है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश की राजधानी में कोई भी बालश्रमिक नहीं होना बताया जाता है।

लगभग तीस साल पहले भारत सरकार ने बाल मजदूरी दूर करने के लिए गुरूपाद स्वामी समिति का गठन किया था। समिति ने अध्ययन के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तक बाल मजदूरी हटाना संभव नहीं होगा। समिति ने सुझाव दिया था कि जोखिम भरे उद्योगों और कामों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए जाएं। समिति ने यह भी सिपफारिश की कि बच्चों की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी नीति बनाए जाने की जरूरत है।

गुरूपाद समिति की सिफारिशों को बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम के रूप में 1986 में लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विष्टिकृत खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई और अन्य शर्तों का निर्धारित किया गया।

हम मानते हैं कि देश में किसी भी तरह का बालश्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन बालश्रम कानून में ही देखें तो यह एक स्तर पर जाकर छह घंटे काम करने की बात भी कहता है। इस तरह के विरोधाभासों के बीच समाज में बच्चों को शोषण रोक पाना और उनको एक बेहतर जिंदगी दे पाना कहां तक संभव हो पाएगा। जाहिर है ऐसे दौर में जबकि देश के अलग–अलग कानून बच्चे की उम्र को लेकर अलग–अलग बात कहते हों तब बच्चों की बेहतरी के लिए एक बेहद रणनीतिक लड़ाई की जरूरत है।

हम आशा करते हैं कि बालश्रम पर यह मेनुअल आपको इस संबंध में व्यापक जानकारी मुहैया कराने में जरूर मदद कर पाएगा। हमने इसमें बालश्रम के अलग–अलग कारनी पक्षों को रखने की कोशिश की है। आप अपने स्तर पर इसका उपयोग कर पाएं, यही इसकी सफलता है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है।

– विकास संवाद समूह

अनुक्रमणिका

- सामान्य सवाल — 01
- बाल श्रम संबंधी कानून व प्रावधान — 05
- बच्चों की कार्यस्थल स्थितियाँ — 08
- पुनर्वास — 11
- शिकायत की प्रक्रिया — 12
- श्रमिक तकनीकी सलाहकार समिति — 13
- नीति एवं ढाँचागत व्यवस्थाएँ — 14
- नीति एवं प्रक्रिया — 16
- किशोर न्याय बाल अवधान और सुरक्षा अधिनियम — 18

सामान्य सवाल

प्रश्न भारत में बच्चे की परिभाषा क्या है ?

उत्तर बच्चे की परिभाषा पर यदि गौर किया जाये तो सबसे बडी विडंबना यह है कि अभी तक इसकी परिभाषा तय नहीं हो पायी है। अलग–अलग कानून एवं संस्थानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। जैसे कि –

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में यह माना है कि बच्चा यानि वह जिसने कि 18 वर्ष की उम्र पूरी ना की हो (बाल अधिकारों के लिए अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धता अनुच्छेद–1)।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 (अ) के अनुसार प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की है, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।

बाल श्रम कानून 1986 के अनुसार 14 वर्ष के नीचे के बच्चों के काम करने को कानूनी जुर्म माना जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो बच्चे शाला से बाहर हैं, उन्हें सरकार बाल श्रमिक मानती है।

बाल विवाह कानून 1929 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को बच्चा माना जाता है।

विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बच्चा माना जाता है। परन्तु माइनिंग कानून 1952 के अनुसार यह उम्र 18 वर्ष है।

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार भी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा ही माना जाता है।

प्रश्न बच्चों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया गया है ?

उत्तर बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुये संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महासभा की 20 नवम्बर 1959 की बैठक में बच्चों के अधिकारों के संबंध में घोषणा पत्र जारी किया। लम्बे समय बाद 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों ने इस पर अपनी पूरी सहमति दी।

इस घोषणा पत्र में भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किये हैं। ये तीन भाग और 54 अनुच्छेदों में विभाजित है। इसमें मुख्यतः बाल अधिकारों को व्यवहारिक रूप से निम्न चार भागों में बांटा गया है –

1. **जीने का अधिकार** – जो प्रत्येक बच्चे के जीवन जीने, खाने–पीने, समुचित देखभाल, शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व के विकास के लिए पोषण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अधिकार है।
2. **विकास का अधिकार** – जीवन स्तर में विकास का अधिकार, व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारिक ज्ञान और कार्यकौशल में बढ़ोत्तरी करने, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख व विकास की गतिविधियों के सहयोग व विस्तार, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग प्रत्येक बच्चों को विशेष देखरेख की व्यवस्था पाने का अधिकार, प्रत्येक बच्चों को आराम करने का अधिकार, खेलने और अपनी उम्र के हिसाब से मनोरंजन करने, खेलने तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों

में स्वतंत्र रूप से भाग लेने, स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

3. **सुरक्षा का अधिकार** – मानवीय समाज में सभी की समानताएँ, बाल विवाह अस्वीकार करने, शारीरिक शोषण से बचने, प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले राहत पाने का अधिकार है।
4. **सहभागिता का अधिकार** – बच्चे को अपनी बात कहने और अभिव्यक्त करने का, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अपना संगठन बनाने एवं अपने अधिकारों और भलाई के लिए कानूनी तौर पर जानकार होने का अधिकार है।

प्रश्न बच्चों के अधिकार क्यों जरूरी हैं ?

उत्तर देश का विकास पूर्णतः बच्चे के विकास से जुड़ा हुआ है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि विकास की परिधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन जीने की स्वतंत्रता, विचार व अनुभव रखने की आजादी भी शामिल है। विकास को मापने का सूचक यह भी है कि राष्ट्र के लोगों को मौलिक अधिकार किसी भी सीमा तक उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है या नहीं। विकास को स्थाई रूप प्रदान करने के लिए बच्चों को अधिकार देना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में विकास की प्रक्रिया की बागडोर इन्हीं बच्चों के हाथ में होगी।

प्रश्न बालश्रम क्या है ?

उत्तर बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्ण शारीरिक विकास और न्यूनतम वांछित स्तर की शिक्षा के अवसरों या उनके लिए आवश्यक मनोरंजन में बाधा उत्पन्न होना बाल श्रम कहलाता है। बच्चों द्वारा किया गया कोई भी काम जो बच्चों का किसी न किसी तरह से शोषण करता है जिसमें कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास या फिर शिक्षा से अवसरों में बाधा उत्पन्न करने एवं मनोरंजन के अवसरों पर रोक जैसी चीजें शामिल हैं।

प्रश्न बालश्रम के मुख्य कारण क्या हैं ?

उत्तर सामाजिक ढांचे में यदि बाल श्रम के कारणों पर गौर किया जाये तो शोषण एवं भेदभाव इसके मूल कारण हैं क्योंकि यह देखा गया है यह समस्या ज्यादातर वंचित तबकों (दलित, आदिवासी, अन्य पिछडा वर्ग) के बच्चों के साथ अधिक होती है। समाज का ढांचा इस प्रकार का है कि यदि इन तबकों के बच्चे यह छोड़ने का प्रयास भी करें तो समाज उन्हें सम्मान पूर्वक जीने की इजाजत नही देता। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी भी इसके एक कारणों में से है।

इसके कारणो में से 'गरीबी' भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चों को कम उम्र में अनुपयुक्त कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन गरीबी एक मात्र कारण नहीं है जिसके कारण बालश्रम बढ़ता है।

प्रश्न बालश्रम से बच्चों के जीवन में क्या फर्क पड़ता है ?

उत्तर

1. बच्चों के काम करने से उनके विकास के अवसर खत्म हो जाते हैं।
2. वह अपनी पहचान खो देता है।
3. बाल श्रमिकों का आर्थिक शोषण किया जाता है, जिसकी वजह उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती या फिर कभी–कभी तो मिलती ही नहीं।

4. बालश्रम करने वाला बच्चा उम्र से ही पहले बड़ा हो जाता है। क्योंकि उसे ज्यादातर समय बड़ों के बीच में ही गुजारना पड़ता है।
5. बच्चा धीरे–धीरे आक्रामक प्रवृत्ति का हो जाता है।
6. जो बच्चे, सबसे बुरी स्थिति में बाल श्रम में सम्मिलित होते हैं उन्हें कई बार शारीरिक तकलीफों या फिर स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
7. बाल श्रमिक रहने से गरीबी हमेशा जारी रहती है क्योंकि वे बच्चों की शिक्षा और मानसिक–शारीरिक विकास से वंचित रह जाते हैं।
8. वयस्क लोगों के बजाये कई बार नियोक्ता इसलिए बच्चों को रखता है क्योंकि बच्चे कम मजदूरी में भी काम कर लेते है और वे आज्ञाकारी होते हैं।
9. बाल श्रमिकों का यदि विस्तार होगा तो इससे कामगारों की मजदूरी भी कम हो जायेगी जहां बाल श्रमिकों पर रोक नहीं होती वहां की श्रम कीमतें कम हो जाती हैं जिससे कम्पनी और व्यापार कराने वाले ज्यादा फायदा उठाते हैं।

प्रश्न बालश्रम करने वाले बच्चे के कैसे और कौन–कौन से अधिकार का उल्लंघन होता है ?

उत्तर बालश्रम करने वाले बच्चों के अधिकारों में से सबसे पहले उनके विकास के मार्ग अवरोध हो जाते हैं जिससे उनके विकास का अधिकार का उल्लंघन होता है।

प्रश्न बालश्रम को लेकर परिवार की मानसिकता क्या है ?

उत्तर बच्चा अगर अपने माता–पिता के साथ उनके रोज के कार्य में मदद करने लगे तो यह माना जाता है कि वो कार्य करने के बारे में सीख रहा है और एक सामाजिक रिश्तों से परिचित हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि सभी परिवार के सदस्य किसी न किसी तरह से आर्थिक रूप से मदद करने वाले हैं। ऐसे समय में परिवार एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसलिए बच्चों के कार्य करने पर परिवार की स्वीकार्यता होती है।

प्रश्न बाल श्रम क्यों खतरनाक है ?

उत्तर लगभग हर बच्चा जो बाल श्रम करता है वह शोषण से पीड़ित होता है। यह शोषण कई तरह से हो सकते हैं जैसे आर्थिक शोषण, इसका मतलब उन बच्चों से देर तक काम कराना, मजदूरी नहीं देना, या फिर कम मजदूरी देना इत्यादि। वे बच्चे इसलिये शोषित होते हैं क्योंकि उन्हें न तो समाज और न ही कानून का संरक्षण प्रदान होता है। यह बच्चे अपने हर तरह के अधिकार से वंचित होते है जिसमें कि उनके खेलने से लेकर स्वास्थ्य, शोषण से मुक्ति, दोस्तों से बातचीत के लिए सही वातावरण एवं शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना से संरक्षण इत्यादि। इन सबके कारण बाल श्रम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है।

प्रश्न बालश्रमिक होने के आर्थिक एवं सामाजिक क्या प्रभाव पड़ते हैं ?

उत्तर बालश्रमिक के आर्थिक पक्षों की बात करें तो उनका कृषि, उद्योग, परिवार के काम–काज मे बाल श्रमिकों का सम्मिलित होना एवं सामाजिक तौर पर काम के दौरान उपयुक्त स्थितियां न होना।

प्रश्न **बालश्रमिक सबसे अधिक किस क्षेत्र में हैं ?**

उत्तर बालश्रमिक सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पाये जाते हैं। उसके बाद इनकी संख्या उद्योग एवं कारखानों में अधिक है।

प्रश्न **बालश्रमिक एवं शिक्षा के क्या सम्बंध हैं ?**

उत्तर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार उन बच्चों को बालश्रमिक मानती है जो स्कूल की चार दीवारी से बाहर हैं। इसके अर्थ हुआ कि जो भी बच्चा शाला के अंदर है वह बाल श्रमिक नहीं है।

प्रश्न **कृषि क्षेत्र में जो बच्चे काम करते हैं क्या वो बालश्रम कानून के अंतर्गत आते हैं ?**

उत्तर कृषि क्षेत्र मे जो बच्चे काम करते हैं वो ज्यादातर अपने घर में ही खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। ऐसे स्थिति में कानून के अनुसार उनके बीच में नियोक्ता का रिश्ता नहीं होता इसलिए उसे इस कानून के बारे में नहीं लाया गया। जो कि गलत है।

बाल श्रम संबंधी कानून व प्रावधान

प्रश्न भारत में बाल श्रमिकों के नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है ?

उत्तर सर्वप्रथम 1938 में सरकार द्वारा बालक नियोजन अधिनियम 1938 बनाया गया था, परंतु 1986 में सरकार द्वारा उसे रद्द करते हुए बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986) बनाया गया। यह अधिनियम 23 दिसम्बर 1986 से लागू किया गया था।

प्रश्न इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं –

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य पर प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंधित व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं की सूची, के संशोधन के निर्णय की प्रक्रिया को बनाना। जिन कार्यों में बाल श्रमिकों के कार्यों पर रोक नहीं लगी है, वहां पर उनकी कार्य स्थिति को नियंत्रित करवाना। बाल श्रमिकों से सम्बन्धित कोई भी अधिनियम का उल्लंघन हो तो सम्बन्धित व्यक्ति पर जुर्माना लगाना। 'बाल' शब्द से सम्बन्धित सभी श्रमिक कानूनों में समानता लाना ।

प्रश्न यह अधिनियम कौन–कौन से राज्यों में लागू है ?

उत्तर यह अधिनियम भारत के हर राज्य में लागू है।

प्रश्न इस अधिनियम के अंतर्गत कौन–कौन से कामों पर रोक है ?

उत्तर वैसे तो बच्चे के हर उस काम पर रोक है जिसकी वजह से उसकी शिक्षा पर असर पड़ता हो। इस अधिनियम की धारा (3) में उनमें से कुछ कार्यों की सूची दी गई है जो इस प्रकार हैं– रेलवे में यात्रियों के सामान या फिर डाक उठाने सम्बन्धी।

1. रेलवे स्टेशन में अंगार उठाने, राख साफ करने या निर्माण कार्य करने सम्बन्धी कार्य।
2. खाने–पीने की कोई भी चीज या अन्य वस्तुओं के लिए चलती हुई रेलगाड़ी के अंदर या बाहर जाने का कार्य या फिर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर सामग्रियों को बेचने का कार्य।
3. रेलवे की पटरियों के पास निर्माण कार्य या अन्य कार्य।
4. हवाई पट्टी या अधिकरण में कार्य जब वह कार्य हवाई पट्टी की सीमा में हो।
5. अस्थायी लाइसेंस वाली पटाखों एवं आतिशबाजी विक्रय सम्बन्धित कार्य।
6. वधशाला में कार्य।
7. ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैरेज में कार्य।
8. जहां कांच या धातु को पिघलाने का कार्य किया जाता है।
9. वह स्थान जहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ, जहरीले पदार्थ एवं विस्फोटक पदार्थ को उठाने–रखने का कार्य किया जाता है।
10. हथकरघा एवं कपड़ा बनाने वाले स्थान।

11. जमीन एवं पानी के नीचे की खदान एवं कोयले की खदान।
12. घरेलू कार्यों में सहायक (नौकर) के रूप में कार्य करने वाले बच्चे।
13. ढाबा, रेस्तरां, होटल, चार दुकान, रिसॉर्ट एवं अन्य मनोरंजन वाले स्थानों पर बच्चों का कार्य करना।

प्रश्न इस कानून के अंतर्गत किन कार्यों / प्रक्रियाओं में बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध है ?

उत्तर इस कानून के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध है –

1. बीड़ी बनाने (सागर)।
2. कालीन बुनना।
3. सीमेन्ट उत्पादन एवं सीमेन्ट को थैली में भरने का कार्य।
4. कपड़ों को बुनना, उन पर रंगाई करना एवं छपाई करने का कार्य।
5. माचिस उत्पादन, आतिशबाजी या कोई अन्य विस्फोटक बनाने का कार्य।
6. माइका (अभ्रक) की कटाई एवं तुड़ाई का कार्य।
7. चपड़ा / शल्क लाक्षा बनाने का कार्य।
8. साबुन का निर्माण।
9. चमड़ा निर्माण।
10. ऊन की धुलाई।
11. बिल्डिंग और कारखाने में कार्य एवं स्लेट का विनिर्माण।
12. स्लेट / पेन्सिल बनाने का कार्य।
13. सुलेमानी पत्थर की वस्तु बनाने का कार्य।
14. विषैले पदार्थ एवं धातुओं (पारा, शीशा, कीट नाशक इत्यादि के निर्माण का कार्य)।
15. अगरबत्ती बनाना।
16. सीमेन्ट या उससे बनी वस्तु बनाने का कार्य / आरा मिल।
17. तम्बाकू या फिर उससे सम्बन्धित कोई भी कार्य।
18. हीरा एवं रत्न काटने का कार्य।
19. चमड़ा एवं उससे बनी वस्तुएं।
20. पत्थर तोड़ने सम्बन्धित कार्य।
21. कोयले की खदान इत्यादि।

प्रश्न क्या अधिनियम के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों पर रोक है उन्हें संशोधित किया जा सकता है ?

उत्तर जी हां, केन्द्र सरकार किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया को अधिनियम के दायरे में ला सकती है।

प्रश्न इसके लिए उन्हें क्या प्रक्रियाएं अपनानी होगी ?

उत्तर इसके लिए उसे राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी होगी । ऐसे संशोधन के विषय को कम से कम तीन माह पहले राजपत्र में अधिसूचना देनी होगी । तीन माह के बाद अनुसूची को संशोधित माना जायेगा।

प्रश्न क्या जो संस्थान अधिनियम की सूची में नहीं आते और वहां बाल श्रमिक काम कर रहे हैं वहां क्या किया जा सकता है ?

उत्तर जी हां, ऐसी स्थिति में काम देने वाले को 30 दिन के अंदर श्रम इन्सपेक्टर को लिखित में सूचना देनी चाहिए।

प्रश्न कई बार देखा गया है कि काम देने वाला श्रम निरीक्षक को सूचित नहीं करता है तब क्या किया जायेगा ?

उत्तर ऐसी स्थिति में शिकायत होने पर नियोजक के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न इस अधिनियम के उल्लंघन होने पर कौन शिकायत कर सकता है ?

उत्तर कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कर सकता है।

प्रश्न शिकायत करने की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर किसी भी कार्यस्थल पर बाल श्रमिक मिलने पर कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित थाने में या फिर जिला क्लेक्टर के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।

प्रश्न पन्नी / कचरा बीनने वाले बच्चे भी बाल श्रमिक कहलाते हैं ?

उत्तर जी हां, यह कार्य भी कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

बच्चों की कार्यस्थल स्थितियाँ

प्रश्न बच्चे दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं ?

उत्तर बच्चे 1 दिन में 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते।

प्रश्न क्या बच्चे को 6 घंटे लगातार काम करना होगा ?

उत्तर इन 6 घंटों में से कम से कम 1 घंटा आराम का जरूर होना चाहिए, यानि कि हर तीन घंटे के कार्य के बाद बच्चों को एक घंटे आराम का समय देना जरूरी है।

प्रश्न क्या बच्चे को काम के अलावा नियोक्ता की ओर भी कोई जिम्मेदारी हैं ?

उत्तर जी हां, नियोक्ता को 6 घंटे के काम के अलावा उससे 2 घंटे की पढ़ाई के लिए समय देना जरूरी है जिसका पूरा खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रश्न नियोक्ता किसे कहते हैं ?

उत्तर जो व्यक्ति या संस्था बाल श्रमिक को काम पर रखता है उसे नियोक्ता कहते हैं।

प्रश्न क्या बच्चे रात में भी काम कर सकते हैं ?

उत्तर नहीं, कोई भी बच्चे को शाम 7 बजे के बाद से सुबह 8 बजे के पहले तक काम करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न क्या बच्चा कभी ओवर टाइम भी कर सकता है ?

उत्तर बिल्कुल नहीं, किसी भी बच्चे को अधिक समय (ओवर टाइम) कार्य करने की अनुमति नहीं है।

प्रश्न यदि बच्चा मजदूरी के लिए कई जगह काम कर सकता है ?

उत्तर नहीं, ये कानूनी रूप से गलत है।

प्रश्न क्या बाल श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी का अधिकार है ?

उत्तर जी हां, हर बच्चा जो किसी दुकान, खेत, व्यवसायिक स्थापना, रंगमंच इत्यादि में कार्य कर रहा है उसे सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का अधिकार है।

प्रश्न बाल श्रमिकों की छुट्टी कौन तय करेगा ?

उत्तर यह दिन काम पर रखने वाले द्वारा तय किया जायेगा और इसके विषय में बाल श्रमिकों को सूचित किया जायेगा एवं दीवाल या फिर नोटिस पर चस्पा किया जायेगा ।

प्रश्न क्या काम पर रखने वाला अपने मनमाफिक छुट्टी का दिन बदल सकता है ?

उत्तर नहीं, वह तीन माह में एक बार से ज्यादा छुट्टी के दिन नहीं बदल सकता है ।

प्रश्न कोई भी बच्चों का काम देने वाले के लिए क्या महत्वपूर्ण कानूनी शर्तें हैं ?

उत्तर हर कार्यस्थल पर काम पर रखने वाले नियोक्ता को बच्चे को रोजगार देने की अविधि से तीस दिन के अंदर कार्यस्थल के क्षेत्राधिकार में आने वाले लेबर इन्सपेक्टर को लिखित रूप में जानकारी देना होगा।

जिससे निम्नलिखित बिन्दु होना जरूरी है –

1. कार्यस्थल का नाम व पता।
2. नियोक्ता का नाम जो कार्यस्थल का वास्तविक प्रबन्धक हो।
3. कार्यस्थल का सही और पूर्ण पता, जहां पर पत्र व्यवहार किया जा सके।
4. कार्यस्थल में जो भी कार्य किया जा रहा है उसके विषय में जानकारी।

प्रश्न नियोक्ता को हर कार्यस्थल पर बच्चों के विषय में क्या कुछ जानकारी रखनी होगी ?

उत्तर जी हां, जो भी बच्चों को रोजगार देगा उन्हें एक रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें कि निम्नलिखित चीजें होना जरूरी है –

1. कार्यस्थल पर कार्य करने वाले हर बच्चे का नाम और जन्म तिथि।
2. बच्चे ने कितने घंटे कार्य किया।
3. किस समय से और कितने घंटे के लिए आराम का समय दिया गया।
4. बच्चे को किस तरह का काम दिया गया।
5. अन्य विषय।

प्रश्न क्या यह रजिस्टर लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

उत्तर जी हां, यह रजिस्टर कार्यस्थल पर हर समय लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

प्रश्न जिन स्थानों पर बाल श्रमिक काम करते हैं वहां पर उनकी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान रखे जाते हैं क्या ?

उत्तर बाल श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित इंतजाम किए जायेंगे– कार्य स्थल पर साफ–सफाई, धुएं या धूल से निपटने के लिए, प्रकाश व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय, चलती हुई मशीन के निकट सुरक्षा, हवादार वातावरण, विस्फोटक, गैस, धुएं सम्बन्धी सुरक्षा, खतरनाक मशीनों से सुरक्षा, स्वचलित मशीनों से सुरक्षा, आग लगने की स्थिति में सुरक्षा सम्बन्धी नियम इत्यादि।

प्रश्न अगर बच्चों की आयु को लेकर विवाद होता है तो क्या किया जा सकता है ?

उत्तर अगर बाल श्रमिक की उम्र को लेकर कोई विवाद इंस्पेक्टर और नियोक्ता के बीच होता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित/ चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार उम्र तय की जायेगी। चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही अंतिम प्रमाण के रूप में मान्य होगा।

प्रश्न विहित चिकित्सा अधिकारी कौन होगा? क्या यह रजिस्टर लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ?

उत्तर जिले के असिस्टेंट सर्जन/ सहायक शल्य चिकित्सक या नियमित डॉक्टर के रूप में सामान्य पद पर राज्य के बीमा चिकित्सालय में काम कर रहे हों।

प्रश्न अगर कहीं बाल श्रमिकों को ऐसे स्थान में काम पर लगाया जाता हैं जो बच्चे के लिए हानिकारक है तब क्या किया जा सकता है ?

उत्तर ऐसी स्थिति मे शिकायत करने पर कानून की धारा 14 के अंतर्गत जो व्यक्ति बच्चों को कार्य पर नियुक्त करता है उसे कम से कम तीन माह की जेल हो सकती है।

प्रश्न क्या बहुत खतरनाक काम करने पर भी तीन माह की ही सजा होगी ?

उत्तर ऐसी स्थिति में यह सजा 1 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है और ऐसा करने वाले को 10 हजार रूपये से लेकर 20 हजार रूपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। वर्ष 2006 का संशोधन रिफर करो तो सब काम खतरनाक हैं, ये झंझट ही नहीं है।

प्रश्न यह जुर्माना किसको दिया जायेगा ?

उत्तर यह जुर्माना श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा किया जायेगा।

प्रश्न अगर कोई व्यक्ति एक बार सजा मिलने के बाद भी ऐसा करें तो उसके लिए क्या कोई सजा है ?

उत्तर जी हाँ, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को छः माह से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है।

प्रश्न अगर कोई नियोक्ता, इंस्पेक्टर को नोटिस न भेजे तो क्या होगा ?

उत्तर ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 1 माह तक की सजा या फिर 10 हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

प्रश्न क्या नियोक्ता को सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है ?

उत्तर हाँ।

पुनर्वास

प्रश्न यदि किसी औद्योगिक संस्थान इत्यादि में बाल श्रमिक मिलते हैं तो उनके लिये क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ?

उत्तर जी हाँ, यदि किसी औद्योगिक संस्थान में कहीं बाल श्रमिक मिलते हैं तो यह प्रयास किया जायेगा कि उनके परिवार के वयस्क व्यक्ति को बच्चे के स्थान पर नौकरी / रोजगार मिल जाये। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो समुचित सरकार बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में प्रति बच्चे के मान से 5000 / – रूपये जमा करेगी।

प्रश्न बाल श्रमिकों को छुड़ाने के बाद उनका क्या किया जाता है ?

उत्तर बाल श्रमिकों को तत्काल उनके माता–पिता के पास भेज देना चाहिए ।

प्रश्न यदि माता–पिता को सौंपने में कुछ वक्त लगता है तब क्या किया जायेगा ?

उत्तर ऐसी स्थिति में किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत् बनी बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जायेगा।

प्रश्न बाल कल्याण समिति क्या है और किसके द्वारा शुरू की गई है ?

उत्तर बाल कल्याण समिति किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाई गई है। यह समिति समाज कल्याण विभाग द्वारा हर जिले में गठित की गई है ।

प्रश्न इस समिति की क्या जिम्मेदारी है ?

उत्तर किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की जिम्मेदारी इसी समिति की है।

प्रश्न यदि किस बच्चे के माता–पिता नहीं हैं तो क्या होगा ? शुरू की गई है ?

उत्तर तब पूरी कार्यवाही होने के बाद यह पाया जाता है कि बच्चे का कोई माता–पिता व रिश्तेदार नहीं हैं तब बाल कल्याण समिति उसे बाल गृह / आश्रय ग्रह में भिजायेगी।

प्रश्न क्या सरकार द्वारा कोई और सेवा बच्चों के लिए शुरू की गई है ?

उत्तर जी हां, भारत सरकार द्वारा 24 घंटे निःशुल्क टेलीफोन सेवा(हेल्पलाइन) शुरू की है, जिसे 'चाइल्ड लाइन' के नाम से जाना जाता है ।

प्रश्न इसका नंबर क्या है ?

उत्तर इसका बहुत ही सरल नंबर है और यह नंबर है 1098 (दस नौ आठ)।

प्रश्न 'चाइल्ड लाइन' में किस तरह की सेवायें मिल सकती हैं ? शुरू की गई हैं ?

उत्तर 'चाइल्ड लाईन' में बच्चों को स्वास्थ्य सहायता, परामर्श सेवायें, आश्रम इत्यादि सेवाएं मिल सकती हैं ।

शिकायत की प्रक्रिया

प्रश्न इस अधिनियम के उल्लंघन होने पर कौन शिकायत कर सकता है ?

उत्तर कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर अधिनियम के अंतर्गत शिकायत कर सकता है।

प्रश्न शिकायत करने की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर किसी भी कार्यस्थल पर बाल श्रमिक मिलने पर कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित थाने में शिकायत दर्ज कर सकता है।

प्रश्न शिकायत कैसे करनी होगी ?

उत्तर शिकायत लिखित में अथवा मौखिक रूप से भी की जा सकती है।

प्रश्न क्या शिकायत करने के लिए कोई निश्चित आवेदन है ?

उत्तर जी नहीं, शिकायत के लिए आवेदन का कोई प्रारूप नहीं है ।

प्रश्न बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में कौन सी अदालत में इसकी कार्यवाही की जा सकती है ?

उत्तर किसी भी सक्षम अधिकारिता न्यायालय में इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जा सकता है।

प्रश्न इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से न्यायालय के पास सक्षम अधिकारिता है ?

उत्तर इसके अंतर्गत महानगरों में महानगर मजिस्ट्रेट एवं अन्य शहरों के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास इसकी अधिकारिता है।

श्रमिक तकनीकी सलाहकार समिति

प्रश्न क्या अधिनियम में दिये गये व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कुछ नये व्यवसाय/प्रक्रिया जोड़ने के लिए कोई सलाह दे सकता है ?

उत्तर जी हां, अधिनियम के अंतर्गत एक सलाहकार समिति गठित की गयी है। यह समिति केन्द्र सरकार द्वारा गठित की जायेगी जिसे कि बाल श्रमिक तकनीकी सलाहकार समिति कहा जाता है। इस समिति के गठन को राज–पत्र में अधिसूचित किया जाता है।

प्रश्न इस समिति में कितने लोग हो सकते हैं ?

उत्तर इस समिति में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

प्रश्न इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति कितने समय तक के लिये होगी ?

उत्तर इस समिति के सदस्य की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचना की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए है।

प्रश्न क्या इस समयावधि को बढ़ाया जा सकता है ?

उत्तर यह समय सीमा को केन्द्रीय सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

प्रश्न इस समिति का सचिव कौन हो सकता है ?

उत्तर इस समिति का सचिव भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं हो सकता है ।

प्रश्न इस समिति के गैर सरकारी सदस्यों का भत्ता कितना है ?

उत्तर इस समिति का अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्य उसी भत्तों के लिए पात्र होंगे जो केन्द्र सरकार के अधिकारियों (जो कि चार हजार पाँच या उससे ज्यादा) के लिए स्वीकार्य हो।

प्रश्न इस समिति के लोगों को कौन हटा सकता है ?

उत्तर केन्द्र सरकार कभी भी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकती है, परन्तु हटाने से पहले उन्हें सम्बन्धित व्यक्ति को कारण बताने का मौका देना जरूरी है।

नीति एवं ढाँचागत व्यवस्थाएँ

प्रश्न इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अनुसार इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाएगा।

प्रश्न इन इंस्पेक्टर के क्या कार्य होंगे ?

उत्तर इंस्पेक्टरों को विभिन्न श्रम अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों एवं स्थापनाओं में निरीक्षण करना होगा।

प्रश्न क्या जिले में कोई सुविधा उपलब्ध है ?

उत्तर जी हां, हर जिले में एक श्रम कल्याण केन्द्र गठित है।

प्रश्न कार्यालय को क्या जिले में स्थित औद्योगिक संस्थानों की कोई खबर होती है ?

उत्तर कार्यालय को अपने क्षेत्राधिकार में स्थित औद्योगिक संस्थान एवं स्थापनाओं की सूची रखनी होगी।

प्रश्न यह सूची किस उपयोग में आयेगी ?

उत्तर इस सूची के आधार पर श्रम निरीक्षकों को औद्योगिक संगठन में निरीक्षण हेतु आवंटित किये जाते हैं।

प्रश्न यदि किसी औद्योगिक संस्थान का नाम उस सूची में नहीं है तो क्या उसका निरीक्षण नहीं होगा ?

उत्तर ऐसी स्थिति में शिकायत मिलने पर सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी की लिखित अनुमति से उस संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

प्रश्न शिकायत करते वक्त कौन–कौन से साक्ष्य देने पड़ते हैं ?

उत्तर शिकायत करते वक्त ऐसे दस्तावेज तथा मौखिक साक्ष्य जिससे कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन स्पष्ट नजर आए।

प्रश्न श्रम निरीक्षक औद्योगिक संस्थान इत्यादि का निरीक्षण करके क्या करेंगे ?

उत्तर संस्थानों का निरीक्षण करने के पश्चात् निरीक्षक 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जिला श्रम कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

प्रश्न क्या अधिनियम में बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण का भी प्रावधान है?

उत्तर नहीं, अधिनियम में इसके प्रावधान नहीं हैं पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका (465 / 86) के आदेश दिनांक 10 फरवरी, 1996 के अनुसार आदेश दिनांक के 6 माह के अंदर बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण होना तय हुआ था ।

प्रश्न अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे है ?

उत्तर इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम में बदलाव एवं नियम बनाने की शक्ति रखती है।

प्रश्न सरकार वह किन मुद्दों पर नियम बनाने की शक्ति रखती है ?

उत्तर सरकार निम्नलिखित मुद्दों पर नियम बना सकती है –

1. कार्यालय का समय तय करने के संबंध में।
2. अचानक खाली पद को भरने।
3. बाल श्रमिक तकनीकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष व सदस्यों को दिये जाने वाले भत्ते एवं गैर सदस्य के विषय को नियुक्त करने सम्बन्धी नियम व शर्तें तय करने में।
4. धारा 7(1) के अनुसार बच्चों के कार्य करने का समय तय करने में।
5. बच्चों को आयु के विषय में दिये जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए चिकित्सा अधिकारी एवं प्रमाण पत्र से सम्बन्धित शुल्क एवं प्रक्रिया के विषय में नियम बनाने में।
6. धारा 11 के अनुसार रजिस्टर एवं रिकार्ड रखने के सम्बन्ध में।

प्रश्न क्या आयु प्रमाण–पत्र बनवाने के लिये भी शुल्क लगता है ?

उत्तर यदि सम्बन्धित अधिकारी को ये लगता है कि प्रमाण पत्र आयु के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना है तो उस प्रमाण पत्र का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रश्न केन्द्र सरकार द्वारा नियम बनाने और अधिसूचना जारी करने के पश्चात् क्या किया जाना चाहिये ?

उत्तर इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक नियम बनाने के बाद इसे जितनी जल्दी हो सके संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना जरूरी है। इसी प्रकार राज्य सरकार कोई भी नियम बनाने के पश्चात् उसे विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करती है।

प्रश्न यदि इन नियमों को संसद/ राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में न रखा जाये तो क्या होगा ?

उत्तर ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले (जान मोहम्मद बनाम् गुजरात राज्य सरकार, (AIR 1966 SC 385) के अनुसार जो भी नियम इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये थे वे उस दिनों से ही मान्य रहेंगे जिस दिनांक को उसे बनाया गया हो। संसद के दोनों सदनों के समक्ष न रखने पर भी इन नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रश्न क्या यह अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियम किसी कानून से ऊपर होंगे ?

उत्तर कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63), बागान श्रम अधिनियम 1951 (1951 का 69), तथा खान अधिनियम 1952 (1952 का 35) इस कानून के अतिरिक्त माने जायेंगे।

नीति एवं प्रक्रिया

प्रश्न क्या बाल श्रम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई है ?

उत्तर जी हां, सरकार द्वारा अगस्त 1987 में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई है।

प्रश्न इस नीति के अंतर्गत क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर इस नीति में मुख्यतः एक कार्य योजना बनाई गयी है जिसमें कि एक वैधानिक योजना बनायी जायेगी, जहां तक संभव हो बच्चों के हित के सामान्य विकास के कार्यक्रमों पर केन्द्रित होगा, साथ ही जिन जगहों पर अधिक मात्रा में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं वहां पर कार्यक्रम आधारित कार्ययोजना बनाई जायेगी।

प्रश्न बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए क्या सरकार ने कोई योजना शुरू की है ?

उत्तर राष्ट्रीय बालश्रम नीति के अनुसार 1998 में राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना शुरू की है।

प्रश्न इस योजना का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना है।

प्रश्न क्या यह योजना मध्यप्रदेश के हर जिले में चलती है ?

उत्तर नहीं, यह योजना वर्तमान में मध्यप्रदेश के 17 जिलों मंदसौर, ग्वालियर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार, खंडवा, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, बैतूल, रीवा, सीधी तथा उज्जैन में संचालित की जा रही है।

प्रश्न इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है ?

उत्तर इसके क्रियान्वयन के लिये जिले स्तर में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जायेगी, जिसे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति के नाम से जाना जायेगा।

प्रश्न इस समिति में कौन–कौन लोग होंगे ?

उत्तर इस समिति में सम्बन्धित शासकीय विभागों के अधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य होंगे।

प्रश्न परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी किसकी है ?

उत्तर संचालन के लिए परियोजना अधिकारी, शिक्षक एवं अन्य स्टॉफ की नियुक्ति होती है।

प्रश्न इस योजना के अंतर्गत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उत्तर हर इंडस परियोजना में मतलब हर उन पांच जिलों में सबसे पहले 5 से 8 वर्ष तक के एक हजार बच्चों

को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूलों में भर्ती कराया जायेगा तथा 9 से 13 वर्ष के दो हजार बच्चों को विशेष रूप से स्थापित ब्रिज स्कूलों में भर्ती कराया जायेगा, जहां उन्हें मुख्य स्कूलों में भेजने या मेन स्ट्रीमिंग हेतु तैयार किया जायेगा। शेष 14 से 17 वर्ष के बच्चों के एक हजार बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न इसके अंतर्गत बच्चों को शाला में दाखिले के अलावा भी कुछ और सहायता मिलेगी ?

उत्तर इस परियोजना के अंतर्गत ब्रिज स्कूल में दाखिल हर बच्चों को रु. 100 प्रतिमाह छात्रवृत्ति, पाठ्य सामग्री, मध्यान्ह भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था मिलेगी। ब्रिज स्कूल के बच्चों को 6 से 12 महीने में औपचारिक स्कूलों में लाने के प्रयास किये जायेंगे तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए यह प्रयास किया जायेगा कि वे ऐसे कौशल सीखें जो कि भविष्य में उनके लिये आय का निश्चित स्रोत बन सके।

प्रश्न इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है ?

उत्तर परियोजना के क्रियान्वयन तथा निगरानी की जिम्मेदारी

राज्यस्तर पर प्रमुख सचिव, श्रम की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग समिति तथा श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य संसाधन केंद्र का गठन किया गया है।

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला इण्डस समिति एवं जिला टॉस्कफोर्स का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी समन्वय एवं मूल्यांकन के लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया है।

किशोर न्याय बाल अवधान और सुरक्षा अधिनियम

प्रश्न क्या भीख मांगने वाले बच्चे भी बाल श्रमिक होते हैं (धारा–24) ?

उत्तर जी हां, भीख मंगवाना किशोर न्याय बाल अवधान और सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कानूनी जुर्म है।

प्रश्न ऐसा करने पर क्या कोई सजा का प्रावधान है ?

उत्तर इसके लिये 3 साल की जेल और जुर्माना तय किया गया है।

प्रश्न क्या भीख मांगने को बढ़ावा देना जुर्म है ?

उत्तर हां।

प्रश्न इसके लिये भी क्या कोई सजा निर्धारित की गई है ?

उत्तर इसके लिये एक साल की सजा एवं जुर्माना तय किया गया है।

प्रश्न बच्चे के रोजगार के सम्बन्ध में किसको सजा दी जा सकती है ?

उत्तर किशोर न्याय बाल अवधान और सुरक्षा अधिनियम की धारा–26 के अंतर्गत जो कोई बच्चे की आय को छीनता है या उसे खतरनाक काम करने को कहता है, उसे बंदी बना कर रखना कानूनन जुर्म है।

प्रश्न क्या ऐसा करने पर व्यक्ति को सजा हो सकती है ?

उत्तर ऐसी स्थिति में उसे 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।

प्रश्न उसे क्या सजा मिलेगी ?

उत्तर 6 माह तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

प्रश्न अगर ऐसा काम करने पर अन्य कानूनों में भी सजा के प्रावधान होंगे तो किस कानून के हिसाब से सजा होगी ?

उत्तर जिस कानून में ज्यादा सजा होगी उसके हिसाब से व्यक्ति को सजा मिलेगी।

भूख बदल देती है
सिद्धान्त लम्बाई के, ऊंचाई के, गहराई के,
किसी भी पेड़ की जड़ों की गहराई से
गहरी जाती है भूख की जड़ें
कुछ और नहीं जो इतनी ऊंचाई पर जा सके
भूख उतनी ही पुरानी है
जितना की जीवन,
यह पैदा हुई है
न खत्म होने के लिये,
यही जिन्दगी को देती है एक मकसद
इसी से तय होते हैं जीवन के मूल्य
और राजनीति की दिशा भी,
कोई सागर इतना गहरा नहीं
कोई आसमान इतना ऊंचा नहीं,
थोड़ा भी रास्ता गलत होने पर
भूख खड़ी कर देती है चुनौती
भूख बढ़ती है जब तुम
पहाड़ों से निकालते हो संपदा
भूख बढ़ती है जब तुम
खेतों में लगाते हो चिमनियां,
भूख बढ़ती है जब तुम
हवा में घोलते हो लालच का जहर,
तुम्हारे विकास की रेखा लम्बवत बढ़ती होगी
पर भूख बढ़ती है दण्डवत और
लेती जाती है अपने आगोश में
सबसे कमजोर को सबसे पहले।